राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर

क्रमांक मुख्या./कार्मिक/1–सी/F-591/013/325 दिनांक :– 30-1-2013

विज्ञापन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में रा.रा.प.प.नि. कर्मचारी सेवा विनियम 1965 के संशोधित नियमों एवं भर्ती/पदोन्नति शिडयूल में वर्णित पात्रता के प्रावधानो के अन्तर्गत–विज्ञापन सं0 1623 दिनांक 30.08.2011 के तहत् शेष रहे निम्न रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिनांक **21.02.2013** तक इच्छुक पात्रता/योग्यताधारी प्रत्याशियो से **"निर्धारित प्रपत्र"** में ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्रम संख्या	नाम पद	कुल पदो की संख्या	सामान्य			अजा			अजजा			पिछड़ा वर्ग			विशेष पिछड़ा वर्ग				महिला		
			सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	सामान्य	महिला	योग	भू.पू. सैनिक	विधवा	परित्यक्ता	योग
1.	सहायक संभाग प्रबन्धक	4	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
2.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	4	3	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
3.	लेखाधिकारी	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	सहायक आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक	15	5	2	7	1	1	2	-	-	-	2	2	4	-	-	-	2	-	-	15
5.	सहायक यातायात निरीक्षक	72	22	4	26	3	4	7	8	2	10	12	4	16	1	-	1	8	2	2	72
6.	कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड–बी	25	10	2	12	4	-	4	2	1	3	1	1	2	-	-	-	4	-	-	25
	योग	**121**	**44**	**8**	**52**	**8**	**6**	**14**	**10**	**3**	**13**	**16**	**7**	**23**	**1**	**-**	**1**	**14**	**2**	**2**	**121**

पात्रता :–

क्र0 सं0	नाम पद	पात्रता
1.	सहायक संभाग प्रबन्धक सीनियर मैनेजर (ट्रैफिक)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि अथवा 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.टेक/बी.ई/बी.बी.ए. डिग्री
2.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता सीनियर मैनेजर (टेक्नीकल)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमाबाईल/मैकेनिकल/इलेक्ट्रीक ट्रेड में/बी.टेक/बी.ई
3.	लेखाधिकारी सीनियर मैनेजर (फाईनेन्स)	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सी.ए/आई.सी.डब्लू.ए./बी.कॉम./बी.ए.(अर्थशास्त्र)/बी.बी.ए
4.	सहायक आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक डिप्टी मैनेजर (ट्रैफिक)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। अथवा 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.टेक/बी.ई/बी.बी.ए. डिग्री
5.	सहायक यातायात निरीक्षक असिस्टेन्ट मैनेजर (ट्रैफिक)	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।
6.	कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड–बी डिप्टी मैनेजर (टेक्नीकल)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोबाईल्स/ मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल ट्रेड में बी.ई./बी.टेक

नोटः– आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को उक्त पात्रता पूर्ण होनी आवश्यक है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को पात्रता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी अपात्र माने जायेंगे। केवल विश्वविघालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से प्राप्त उपाधि/डिग्री ही योग्यता के लिये मान्य होगी। किसी अन्य संस्था /विभाग द्वारा(रक्षा मंत्रालय/सैनिक प्रशिक्षण संस्थाओं) जारी प्रमाण पत्र डिग्री के समकक्ष नहीं माने जावेगें।

वेतनमान :–

क्र.सं.	नाम पद	मासिक फिक्स पारिश्रमिक	पे बेन्ड	वेतनमान	ग्रेड पे
1.	सहायक संभाग प्रबन्धक	16,800	PB-3	15,600–39,100	5400
2.	सहायक यांत्रिक अभियन्ता	16,800	PB-3	15,600–39,100	5400
3.	लेखाधिकारी	16800	PB-3	15,600–39,100	5400
4.	कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड–बी	10,000	PB-2	9,300–34,800	3200
5.	सहायक आगार प्रबन्धक/ यातायात निरीक्षक	10,000	PB-2	9,300–34,800	3200
6.	सहायक यातायात निरीक्षक	7,900	PB-1	5,200–20,200	2400

i. उक्त पदों पर चयन होने पर उपरोक्तानुसार प्रथम दो वर्ष तक फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर दो वर्ष के परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण पर रखा जावेगा तथा दो वर्ष का परीवीक्षाकाल प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उपरोक्तानुसार नियमित वेतनमान एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

1. **आयु**

i. उक्त पदों के लिये दिनांक 01.01.2013 को न्यूनतम आयु 18 तथा अधिकतम 35 वर्ष होगी। वर्ष 2012 में भर्ती नहीं होने के फलस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष तक शिथिलन देय होगा। अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरूष एवं सामान्य वर्ग की महिला अभ्यार्थियों को, जो राजस्थान के स्थाई निवासी है को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग, जो राजस्थान के स्थाई निवासी है की महिला अभ्यर्थियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी। भारतीय सेनाओ के आरक्षित (रिर्जविष्ट) जवानों की नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

ii. जिस आरक्षित वर्ग में महिलाओ के पद आरक्षित नहीं होगे, उन्हे आयु सीमा की छूट उसी वर्ग के पुरूष को देय छूट के अनुसार ही देय होगी।

iii. निगम सेवामें पूर्व से कार्यरत विभागीय कर्मचारियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम–1965 के विनियम संख्या 110 (ii) के तहत अधिकतम आयु सीमा में 45 वर्ष तक शिथलन देय होगा।

iv. विधवाओ और विवाह विछिन्न महिलाओ के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

नोटः– उपरोक्त पैरा के प्रावधान i से iv पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जावेगा। एक से अधिक प्रावधानो को जोड कर छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा।

2. <u>आरक्षण</u>

i. अनुसूचित जाति/जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के प्रत्याशियों हेतु तहसीलदार/उप खण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

ii. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।

iii. स्पष्टीकरण :–

A. किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछडी जाति एवं विशेष पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नही। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

B. महिलाओ हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह महिला) महिलाओ के लिए आरक्षित है। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

C. विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम अधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विछिन्न का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

iv. भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदको को आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक तक सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिको के आश्रितो को भू0पू0 सैनिको के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

विशेष :– अधीनस्थ सेवा के पद सहायक आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक, सहायक यातायात निरीक्षक की कार्य प्रकृति को देखते हुये इन पदों पर निःशक्तजनो को आरक्षण देय नहीं होगा।

3. '**ऐसा कोई भी अभ्यर्थी** जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु दो से अधिक बच्चो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक की 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चो की संख्या में बढोतरी नहीं होती।
   परन्तु यह और की जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है, वहाँ बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुये बच्चो को एक ईकाई समझा जावेगा।
4. अभ्यार्थियों को ऑनलाईन लिखित परीक्षा में बुलाये जाने पर किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा। केवल अनुसूचित जाति/जन जाति अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा के लिये उनके निवास स्थान से निगम की द्रुतगामी/साधारण वाहन में परीक्षा स्थल तक आने जाने का न्यूनतम दूरी का निःशुल्क यात्रा पास उनके निवास स्थान के निकटतम आगार से देय होगा। इसके लिये अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित आगार में अपनी प्रवेश पत्र की मूल प्रति दिखाते हुये एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी तथा बेराजगार होने की घोषणा (अण्डरटेंकिग) साधारण कागज पर देनी होगी।
5. एक अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिये आवेदन करें।
6. आवेदन पत्र दिनांक 01.02.2013 से 21.02.2013 को रात्रि 12.00 बजे तक केवल ऑनलाईन ही भरे जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व **आवेदन पत्र का प्रारूप**,विज्ञापन एवं आवेदन पत्र भरने के **निर्देश** निगम की वेबसाईट www.rsrtc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर ले तथा विज्ञापन की शर्तो/पात्रता एवं **ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का भली भांति अध्ययन/अवलोकन करने के पश्चात पात्र होने की स्थिति में ही परीक्षा शुल्क बेबसाईट पर उपलब्ध आगार कार्यालय की सूची में से किसी भी आगार कार्यालय में नगद जमा करा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरें जिससे की ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे। आवेदन पत्र भरने में असुविधा होने पर हैल्प लाईन rsrtcfeb2013@gmail.com पर** मेल के जरिये सहायता प्राप्त कर सकते है।
7. निगम वेबसाईट से ऑनलाईन आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी तरह का आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा। **अभ्यर्थी द्वारा सीधे ही निगम मुख्यालय, जयपुर में प्रेषित कोई भी आवेदन पत्र भी स्वीकार नही होगा।**
8. पात्र अभ्यार्थियों के प्रवेश पत्र केवल निगम वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकेंगे।
9. भर्ती के दौरान इन विज्ञापित पदों में कमी अथवा बढोतरी की जा सकती है।
10. इन पदों पर भर्ती के लिए सामान्य एवं अन्य पिछडा तथा विशेष पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क ₹..700/– तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी जो कि राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, के लिए ₹.175/– होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व परीक्षा शुल्क निगम वेबसाईट पर उपलब्ध निगम के आगार कार्यालयों की सूची में से किसी भी आगार कार्यालय में नकद जमा कराना अनिवार्य है।
11. विस्तृत विज्ञापन में वर्णित पात्रताधारी अभ्यार्थी ही आवेदन प्रस्तुत करें। पात्रता के अभाव में/पात्रता अपूर्ण पाये जाने पर **आवेदन पत्र खारिज** कर दिया जावेगा तथा ऐसे अपात्र अभ्यार्थियों को परीक्षा शुल्क नहीं लौटाया जावेगा। लिखित परीक्षा एवं चयन हेतु अभ्यार्थी की उम्मीदवारी अस्थाई होगी, जो कि नियुक्ति से पूर्व किसी भी चरण में मूल दस्तावेजों से मिलान करने एवं विज्ञापन में विनिर्दिष्ट आयु, निर्धारित शैक्षणिक अर्हता एवं शर्ते पूर्ण करने के अध्ययधीन रहेगी।
12. उक्त सभी पदों पर भर्ती के लिये विज्ञापन की शर्तो के अनुसार पात्र पाये गये अभ्यार्थियों की ऑनलाईन लिखित परीक्षा 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नो के आधार पर 80 अंको की होगी। परीक्षा समय दो घंटे रहेगा, जिसमें 50–50 प्रतिशत अंको के आधार पर दो भागो में प्रश्न पत्र होगा। भाग प्रथम में सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्रश्न होगें तथा भाग द्वितीय में विषय से सम्बन्धित प्रश्न होगें। परीक्षा में प्राप्तांक एवं मेरिट फार्मूले के अनुसार अंक देते हुये अन्तिम मेरिट सूची आरक्षण के नियमों के अनुसार चयन हेतु बनायी जायेगी। मेरिट फार्मूला निम्न अनुसार होगा।

1. राज्य सरकार/भारत सरकार एव उनके उपक्रमों तथा राज्य सरकार के सहकारी विभाग के अधीन कार्यरत सहकारी संस्थाओं/बैकों में किये गये कार्य अनुभव के आधार पर
   एक वर्ष हेतु 2 अंक
   दो वर्ष हेतु 4 अंक
   2½ वर्ष एवं इससे अधिक के लिए 5 अंक

प्रस्तावित कुल अंक–05

2. शैक्षणिक योग्यता में सैकेण्डरी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर 2 अंक
   सीनियर सैकेण्डरी में 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर 2 अंक
   स्नातक परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित करने पर 6 अंक

प्रस्तावित कुल अंक–10

3. भर्ती हेतु पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के अतिरिक्त उच्च योग्यताधारी (2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट इत्यादि) के लिए **प्रस्तावित अंक–05**
4. वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर लिखित परीक्षा के लिये

प्रस्तावित अंक–80

मेरिट तैयार करने हेतु कुल 100 अंकों का वर्गीकरण उपरोक्तानुसार किया जावेगा।

13. सभी संवर्गो के अभ्यार्थियों के लिये लिखित परीक्षा में सफल हेतु न्यूनतम(Cut of marks)अंक 40 प्रतिशत अर्थात 80 अंकों मे 32 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अंक एवं उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियो के ही उपरोक्त मेरिट फार्मूले के अनुसार कार्य–अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता के अंक जोडे जाकर नियमानुसार अंतिम मेरिट सूची बनाई जावेगी,एवं रिक्त पदों के 50 प्रतिशत तक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जावेगी।
   a. यातायात संवर्ग के पदों (सहायक संभाग प्रबन्धक, सहायक आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक एवं सहायक यातायात निरीक्षक) हेतु संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। जिसमें मेरिट में प्रथम अभ्यार्थियों को सहायक संभाग प्रबन्धक तत्पश्चात शेष अभ्यार्थियों को मैरिट क्रमानुसार क्रमशः सहायक आगार प्रबन्धक/यातायात निरीक्षक एवं सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर चयन किया जावेगा। इन पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र में पद नाम के स्थान पर केवल **"यातायात संवर्ग"** का उल्लेख करेगें।
   b. यांत्रिक संवर्ग के पदों सहायक यांत्रिक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड–बी के पदों हेतु संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी। जिसमें मेरिट में प्रथम अभ्यार्थियों को सहायक यांत्रिक अभियन्ता तत्पश्चात शेष अभ्यार्थियों को मैरिट क्रमानुसार कनिष्ठ अभियन्ता ग्रेड–बी के पद पर चयन किया जावेगा। इन पदों पर भर्ती के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र में पद नाम के स्थान पर केवल **"यांत्रिक संवर्ग"** का उल्लेख करेगें।
   c. लेखाधिकारी के पद के अभ्यर्थी केवल आवेदित पद का नाम भरें। लेखाधिकारी के पद के लिये एकल परीक्षा आयोजित की जावेगी।
14. ऑन लाईन लिखित परीक्षा 15 मार्च 2013 से 31 मार्च 2013 के मध्य जयपुर ,अजमेर,जोधपुर,कोटा,उदयपुर,सीकर,बीकानेर,अलवर शहरो में लिया जाना संभावित है। लिखित परीक्षा हेतु सलेबस की जानकारी एवं लिखित परीक्षा की सूचना निगम वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल नम्बर/ एसएमएस से भर्ती सम्बन्धी जानकारी दी जा सकती है, जो मान्य होगी। भर्ती के सम्बन्ध में किसी तरह का अन्य पत्राचार/सिफारिश स्वीकार नही होगी, सिफारिशी पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा। अभ्यार्थियो का चयन निगम द्वारा निर्धारित मेरिट फार्मूले के आधार पर किया जायेगा। किसी भी तरह का साक्षात्कार नही होगा।
15. सफल अभ्यार्थियों का चयन से पूर्व आवेदन पत्रानुसार मूल दस्तावेजो से मिलान किया जावेगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि की स्थिति में आवेदक की पात्रता निरस्त कर दी जावेगी। जिसके लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. चयनित अभ्यार्थियो की सेवायें राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम–1965 एवं कर्मचारी स्थाई आदेश–1965 के तहत शासित होगी। चयनित अभ्यार्थियो का पदस्थापन निगम के किसी भी कार्यालय/कार्यशाला में आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
17. उक्त विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।

सदस्य सचिव
सेवा चयन मण्डल

121 पदों पर भर्ती के लिये परीक्षा शुल्क जमा करने वाले आगारो की सूची

क्र.सं.	आगार का नाम			
1.	डीलक्स			
2.	जयपुर			
3.	दौसा			
4.	कोटपूतली			
5.	वैशालीनगर			
6.	अजमेर			
7.	अजयमेरू			
8.	ब्यावर			
9.	भीलवाडा			
10.	डीडवाना			
11.	नागौर			
12.	अनूपगढ			
13.	बीकानेर			
14.	गंगानगर			
15.	हनुमानगढ			
16.	सरदार शहर			
17.	अलवर			
18.	मत्स्य नगर			
19.	भरतपुर			
20.	लोहागढ			
21.	धौलपुर			
22.	हिण्डौन			
23.	तिजारा			
24.	टोंक			
25.	बून्दी			
26.	कोटा			
27.	झालावाड			
28.	बांरा			
29.	चूरू			
30.	झुन्झुनु			
31.	खेतडी			
32.	श्रीमाधोपुर			
33.	सीकर			
34.	आबूरोड			
35.	बाडमेर			
36.	फालना			
37.	जालौर			
38.	जोधपुर			
39.	पाली			
40.	फलोदी			
41.	सिरोही			
42.	उदयपुर			
43.	बांसवाडा			
44.	चित्तौडगढ			
45.	डूंगरपुर			